HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 6011/2025

Vinit Kumar Yadav S/o Shri Vijay, Resident of Opposite Bus Stand, Vijay Hospital Rewari Road, Narnaul, District Mahendargarh (Haryana).

----Accused/Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

2. Anjala Kumari W/o Late Shri Udai Singh, Resident of 3, Peelwa Garden, Moti Dungari Road, Jaipur (Rajasthan).

----Complainant/Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 179/2025

Ajit Singh S/o Late Shri Umaid Singh, Aged About 66 Years, R/o 3, Pilwa Garden, Moti Doongri Road, Jaipur.

----Accused/Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

2. Anjala Kumari D/o Late Shri Uday Singh, R/o 3, Pilwa Garden, Moti Doongri Road, Jaipur.

----Complainant/Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 5252/2025

Dharmveer Singh S/o Shri Puran Singh, Aged About 44 Years, R/o Village Pipali, Tehsil Mundawar, District Khairthal-Tijara (Raj.)

----Accused/Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

2. Anjla Kumari W/o Uday Singh, Aged About 62 Years, R/o 03, Moti Dungri Road, Peelwa Garden, Jaipur.

----Complainant/Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kapil Gupta, Adv. with Mr. Dharmendra Kumar, Adv. Mr. Sushil Yadav, Adv. Mr. Hitanshu Joshi, Adv. for Mr. Deepak Chouhan, Adv. Ms. Neha Gurjar, Adv. for Mr. Sumer Singh Ola, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, Dy.G.A.
For Complainant	:	Mr. Parikshit Singh Shekhawat, Adv. with Mr. Kailash Chander Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

26/02/2026

In S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 6011/2025

1. याची–अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **64/2024,** पुलिस थाना– **मोती डूंगरी,** जिला– **जयपुर सिटी (पूर्व)**, अपराध अंतर्गत धारा **420, 406, 467, 468, 471, 409, 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता** एवं उससे उद्भूत समस्त कार्यवाही को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2. दो सप्ताह की वापसी के साथ अचायीगण को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता, अयाची संख्या–01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

3. विद्वान् अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याची–अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, याची–अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 64/2024, पुलिस थाना मोती डूंगरी, जिला जयपुर सिटी (पूर्व) गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर दर्ज करवायी गई है, उनका यह भी कथन है कि याची–अभियुक्त ने सहअभियुक्त अजीत सिंह से वादग्रस्त सम्पत्ति, सद्भाविक क्रेता के रूप में क्रय की गई थी, जिसका म्यूटेशन उसके पक्ष में खोला जा चुका है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में परिवादी पक्ष की ओर से याची–अभियुक्त के

विरूद्ध एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 217/2025, पुलिस थाना नीमराणा, जिला कोटपूतली–बहरोड में दर्ज करवायी गयी है, उसमें भी समकक्ष पीठ द्वारा उसे अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है एवं प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट में सहअभियुक्त अजीत सिंह को समकक्ष पीठ द्वारा अंतरिम जमानत का लाभ दिया गया है एवं अन्य सहअभियुक्त धर्मवीर के संबंध में समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 22.08.2025 को उसे भी अंतरिम सुरक्षा प्रदान किये जाने के आदेश दिये गये हैं, जिनसे याची–अभियुक्त का केस भिन्न नहीं है, उनका यह भी कथन है कि याची–अभियुक्त अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर है, किन्तु पुलिस उसे गिरफ्तार करने पर आमादा है, अतः याची–अभियुक्त को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।

4. विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने संयुक्त रूप से याचिका का विरोध करते हुए कथन किया कि याची–अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत भूमि पर लगातार जबरन कब्जा करने एवं उसमें जाकर तोडफोड व चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है एवं उसने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलीभगत करके षड्यंत्रपूर्वक उक्त सम्पत्ति को क्रय किया है। अतः उसकी अंतरिम सुरक्षा प्रदान किये जाने की प्रार्थना अस्वीकार की जावे।

5. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

6. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याची–अभियुक्त को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वह दिनांक **05.03.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले तो उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **64/2024** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे, याची–अभियुक्त के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

7. अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

8. प्रकरण **दो सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

In S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 179/2025 & S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 5252/2025

उक्त दोनों प्रकरण S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 6011/2025 के साथ संलग्न किये जाकर **दो सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किये जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

AKSHAY KUMAR PAREEK /9-11